न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

...-- 11/2023

पीठासीन अधिकारी-- सुनीता मीना आर.ए.एस.

बनाम

1. गुडडू पुत्र किसन
2. मोटी पत्नि किसन
3. रामखिलाड़ी पुत्र रामरतन
4. पोहकर पुत्र किसन
5. सुरेश पुत्र किसन
समस्त जाति मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम। (प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भगती
2. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
3. रामफूल पुत्र रामस्वरूप
4. मोहरम पुत्र रामस्वरूप
5. गुडडू पुत्र रामस्वरूप
जाति मीना निवासी बंद का पुरा खोहरा तहसील टोडाभीम। (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128

उपस्थिति :-- श्री कृष्ण कान्त मित्तल एड्वोकेट (प्रार्थीगण)
श्री सुरेश चन्द शर्मा एड्वोकेट (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक-- 25.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढ़ी का संक्षेप में कथन इस ...र है कि ग्राम खोहरा की आराजी खसरा 2019 रकबा 0.47 है0 की खातेदारी प्रार्थीगण के ...म दर्ज है। इस आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त ...जीयात का तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 20.06.2023 को मौके पर सीमाज्ञान कर ...या है तथा सीमा निर्धारित की जाकर मौके पर निशानात लगवाये गये। ...बांका दिनांक 12.07.2023 को अपनी उक्त आराजी में पत्थर गढी करने के ...ये तैयारी कर रहे थे, तब अप्रार्थीगण मौके पर आ गये तथा झगड़ा करने लगे तथा ...थरगढ़ी नही करने दी, प्रार्थीगण ने इनको काफी समझाया लेकिन नही माने और ऐलानिया ...की दी कि हमारा जूता मजबूत है तुमको पत्थरगढ़ी नहीं करने देंगे। इसलिये यह प्रार्थना ...पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया ...ा। बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र ... तथ्य ...ा दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम खोहरा आराजी ... ...तेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस आराजी से अप्रार्थीगण का ... प्रकार ...ा नही है। उक्त आराजीयात का तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 20.06.2... को मौके ...र सीमाज्ञान कर दिया है तथा सीमा निर्धारित की जाकर मौके पर निशानात लगवाये गये। ...त: मुताबिक सीमाज्ञान पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को किये जावे।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 2019/0.43 है0 मे प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 2019/0.43 है0 का तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 20.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा कराये जाने पर मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम खोहरा के खसरा नम्वर 2019 रकवा 0.43 है0 की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2023 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थरगढी करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:17 IST
Reason: SelfAttested